

उत्तर प्रदेश सरकार की राजाजवादी योजना के अन्तर्गत

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की शताब्दीनगर एवं डा0 राम मनोहर लोहिया नगर में स्ववित्त पोषित योजना में प्लैट प्राप्त करने का

स्वर्णिम अवसर

पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्त व जमा करने की अवधि दिनांक 11-06-2015 तक

सम्पत्ति का विवरण

प्लैट की श्रेणी	प्लैटस् की संख्या	अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग मी० में)	अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)	आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि	
				पंजीकरण धनराशि 10% (लाख रुपये में)	*आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 5% (लाख रुपये में)
शताब्दी नगर, सेक्टर 4 स्टिल्ट+10 मंजिलें प्लैटस् की योजना					
1बी०एच०के०	400	52	15.15	1.52	0.76
2बी०एच०के० टाईप बी	300	70	20.40	2.04	1.02
2बी०एच०के० टाईप ए	100	80	23.30	2.33	1.17
डा० राम मनोहर लोहिया नगर पॉकेट के स्टिल्ट+5मंजिलें प्लैटस् की योजना					
2बी०एच०के० टाईप ए	85	70	22.15	2.22	1.11
2बी०एच०के० टाईप बी	220	57	16.58	1.66	0.83

- *आरक्षित वर्ग (अनु0जाति, अनु0जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा विकलांग श्रेणी) के किश्तों आवेदकों को मूल्य का 5% पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय हो, आरक्षण के प्रमाण पत्र सहित जमा करनी होगी तथा शेष आवेदकों को मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी।
- लाटरी में सफल आवेदकों को आवंटन पत्र निर्गत दिनांक से 1 माह की अवधि के अन्दर मूल्य का 10 प्रतिशत आवंटन धनराशि तथा प्लैट की शेष धनराशि स्व. वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 2 वर्ष की बिना ब्याज की 8तिमाही समान किश्तों में जमा करनी होगी। विलम्ब अवधि के लिये 20 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।
- तालिका में उल्लिखित सम्पत्तियों की संख्या, क्षेत्रफल व मूल्य अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।
- आरक्षण:- आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 1. विस्तृत नियम एवम् शर्तों की विवरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित दिनांक 11-06-2015 तक निर्धारित धनराशि रुपये 500/- के भुगतान पर एच0डी0एफ0सी0बैंक व इलाहाबाद बैंक व आई0डी0बी0आई0 बैंक व आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक की शाखाओं से मिलेगी। उपरोक्त विज्ञापित बैंक जिनका विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.org.in पर तथा पंजीकरण विवरण पुस्तिका में उल्लिखित है, पंजीकरण आवेदन पत्र सहित विवरण पुस्तिकायें बैंक की अधिकृत शाखाओं से क्रय की जा सकती है तथा आवेदकों के पंजीकरण धनराशि सहित पंजीकरण आवेदन पत्र उन्हीं बैंक की शाखाओं में उक्त दिनांक तक जमा किये जायेंगे।

प्राधिकरण की वेबसाइट (www.mdameerut.org.in) पर उपरोक्त योजनाओं की विवरण पुस्तिकायें उपलब्ध हैं। उपयोग में लाने पर निर्धारित शुल्क रुपये 500/- का बैंक ड्राफ्ट अलग से पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ विज्ञापित बैंक में जमा करना होगा।

- 2. योजना से सम्बन्धित अन्य विवरण/जानकारी योजना प्रभारी से (दूरभाष सं0 01212648598) किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है। 3. प्लैट्स का पंजीकरण किसी सम्पत्ति/तल विशेष के लिये मान्य नहीं होगा। सम्पत्तियों के पंजीकरण उपरान्त सभी तलों के प्लैट्स का आवंटन एक साथ लाटरी द्वा के माध्यम से किया जायेगा। लाटरी द्वा के सम्बन्ध में विज्ञापन पृथक से जारी किया जायेगा।

सचिव।

- सुनियोजित विकास प्राधिकरण के साथ -

उपाध्यक्ष।